

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37()परावि/प्रशा.2/कलिभर्ती/एसएसए-एनआरएचएम/17 जयपुर दिनांक


मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद दौसा ।

3359

5/9/17

विषय:- कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में पूर्व में नियुक्ति आदेश जारी  
हो चुके अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर योग्यता बाबत  
संदर्भ:-आपका पत्रांक 2675 दिनांक 28.08.17।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि कनिष्ठ  
लिपिक भर्ती 2013 में विभागीय निर्देशानुसार नियुक्ति आदेश जारी होने वाले  
अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाया जाना है लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय जांच  
में पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र 5/13 का है ।  
प्रकरण में लेख है कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित करने के निर्देश पूर्व  
में जारी किये जा चुके हैं । तदनुसार कार्यवाही की जावे ।  
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

  
(राजेन्द्र शेखर मक्कड )  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-370परावि/प्रशा.2/कलिभर्ती/एसएसए-एनआरएचएम/17 जयपुर दिनांक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद सिरौही ।

3360

5/9/17

विषय:- कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में मार्गदर्शन बाबत ।  
संदर्भ:-आपका पत्रांक 848 दिनांक 25.08.17 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने संदर्भित पत्र द्वारा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों बाबत कोई छूट का प्रावधान है या नहीं? एवं सीनियर सेकण्डरी व बीए में कम्प्यूटर परीक्षा अनिवार्य होने पर समकक्ष माना जावे या नहीं बाबत मार्गदर्शन चाहा है ।

प्रकरण में लेख है कि दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए छूट का प्रावधान " राजस्थान परसन विद डिसेबिलिटीस नियम 2011 में नहीं है । बिन्दू दो के संदर्भ में अभ्यर्थियों का पूर्ण विवरण मय दस्तावेज भिजवावें जिससे अपेक्षित कार्यवाही की जा सके ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड )  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-370परावि/प्रशा.2/कलिभर्ती/एसएसए-एनआरएचएम/17 जयपुर दिनांक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद नागौर ।

3361

5/9/17

विषय:- कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में मार्गदर्शन बाबत  
संदर्भ:-आपका पत्रांक 3036 दिनांक 23.08.17।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 18.4.13 के बाद आरएस सीआईटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों बाबत एवं राज्य के बाहर से डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों बाबत मार्गदर्शन चाहा है ।

प्रकरण में लेख है कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित करने के निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं । तदनुसार कार्यवाही की जावे । बिन्दू के संदर्भ में विभाग द्वारा विश्वविद्यालय बाबत जारी परिपत्रानुसार कार्यवाही की जावे । एमआईएस मैनेजर को कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के पद विरुद्ध बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है । यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड )  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37(0)परावि/प्रशा.2/कलिभर्ती/एसएसए-एनआरएचएम/17 जयपुर दिनांक

3363

5/9/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद झुझनु ।

विषय:- कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में मार्गदर्शन बाबत  
संदर्भ:-आपका पत्रांक 4789 दिनांक 24.08.17।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने संदर्भित पत्र द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती। 2013 में आवेदन की अन्तिम दिनांक 18.4.13 के बाद विधवा/तलाकशुदा होने पर श्रेणी परिवर्तन बाबत मार्गदर्शन चाहा है ।

प्रकरण में लेख है कि श्रेणी परिवर्तन अनुमत नहीं है। न्यायिक निर्णयों में अगर ऐसे आदेश प्राप्त होते हैं तो अपील में स्थगन आदेश नहीं मिलने पर अपील के निर्णय के अध्यक्षीन पालना करें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड )  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-  
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजस्थान ।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड )  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव